

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1. राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।
क्रमांक: एफ11()/ओबीसी-जटसिख/नात.कृ.राजपूत/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013/

जयपुर दिनांक

50739

29/06

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गयी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गये विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 101/2018 दिनांक 14.06.2018 की अनुपालना में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से क्रम संख्या 54 पर जाट जाति वर्ग के आगे "जट सिख" जाति को सम्मिलित किया जाता है।

(जे.सी. महानि)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक: एफ11()/ओबीसी-जटसिख/नात.कृ.राजपूत/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013/

जयपुर दिनांक

50740-890

29/06

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
10. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. सयुक्त निदेशक(सिस्टम एनालिस्ट)सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग योजना भवन जयपुर, को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कृपया अधिसूचना अनुसार ओबीसी की सूची में संबंधित वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. रामरत जिला कलक्टर।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
17. समस्त जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
18. ए.सी.पी. मुख्यावास सान्याअवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।
19. गार्ड फाईल।

(डॉ.समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव